राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–4835/2022

श्रीमती बिमला सिहाग

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये, शासन सचिव, शिक्षा विभाग, राजस्थान सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा) चूरू संभाग, चूरू।
4. नरेश कुमार गुप्ता, वर्तमान पदस्थापन प्रधानाचार्य, शहीद सुबेदार मैजर रामपाल सिंह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, काजला, झुन्झुनू।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 04.11.2022

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री संजय महला, अधिवक्ता।

प्रत्यर्थीगण की ओर से : श्री गौरव सिंह, राजकीय अधिवक्ता।

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)

मातादीन शर्मा, सदस्य

आदेश

1. मामलें की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुनवाई की गई।

2. अपीलार्थी द्वारा यह अपील आदेश दिनांक 07.08.2022 (अनुलग्नक–1) को चुनौती देते हुए प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण/पदस्थापन राकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, कुहाडवास, झुन्झुनू से शहीद सुबेदार मैजर रामपाल सिंह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, काजला, झुन्झुनू में किया गया है।

3. विद्वान् अधिवक्ता ने बहस के दौरान यह तथ्य स्वीकार किया कि अपीलार्थी द्वारा नवीन पदस्थापित स्थान पर कार्यभार ग्रहण कर लिया गया है।

4. हमने विद्वान् अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया ।

5. अपीलार्थी द्वारा आलोच्य स्थानान्तरण आदेश की पालना में नवीन पदस्थापित स्थान पर कार्यग्रहण किया जा चुका है, ऐसे में आदेश की पालना हो चुकी है। ऐसी स्थिति में आलोच्य आदेश में हस्तक्षेप किये जाने का कोई आधार नहीं है। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही एतद्द्वारा खारिज की जाती है।

(मातादीन शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)